**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3348**
**दिनांक 12 मार्च, 2026**

**जैव-ईंधन नीति में संशोधन**

**†3348. श्री अतुल गर्गः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 में क्या प्रमुख संशोधन किए गए हैं और उनका जैव ईंधन उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) जैव ईंधन उत्पादन के लिए क्या विभिन्न फीडस्टॉक चिन्हित किए गए हैं और वे किस प्रकार स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हैं;

(ग) सरकार द्वारा जैव डीजल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ और मिश्रण लक्ष्य सहित क्या विशिष्ट उपाय किए हैं;

(घ) उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना में क्या संशोधन किए गए हैं; और

(ङ) जैव ईंधन को अपनाने में वृद्धि और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार का दीर्घकालिक विजन क्या है?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क) सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति (एनपीबी)- 2018 को अधिसूचित किया था, जिसे बाद में वर्ष 2022 में संशोधित किया गया है। एनपीबी में प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:

(i) जैव ईंधन के उत्पादन हेतु अधिक फीड स्टॉक की अनुमति प्रदान करना,

(ii) पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण संबंधी इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक करना।

(iii) मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयूज) में स्थित इकाईयों द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना ।

(iv) राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) में नए सदस्यों को शामिल करना।

(v) विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति प्रदान करना, और

(vi) राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुरूप नीति में कुछ वाक्यांशों को हटाना अथवा संशोधित करना।

इन संशोधनों ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को पिछले ईएसवाई 2024-25 में 1000 करोड़ लीटर से अधिक के मिश्रण के रिकॉर्ड सहित आने वाले वर्षों में लगातार इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य

को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने नवंबर 2025 से शुरू होने वाले वर्तमान ईएसवाई 2025-26 में पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण शुरू कर दिया है।

(ख): राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति ने जैव ईंधन उत्पादन के लिए विभिन्न फीड-स्टॉक की पहचान की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, टूटे चावल जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (एनबीसीसी) द्वारा घोषित अधिशेष चरण के दौरान खाद्यान्न और कृषि अवशेष (चावल का भूसा, कपास का डंठल, मक्का के भुट्टे, लकड़ी का बुरादा, खोई आदि) शामिल हैं। यह नीति भुट्टा, कसावा, सड़े हुए आलू, मक्का, गन्ने का रस और शीरा आदि जैसे फीडस्टॉक के उपयोग को भी बढ़ावा देती और प्रोत्साहित करती है।

फीड-स्टॉक विविधीकरण ने सरकार के पर्यावरण स्थिरता प्रयासों का समर्थन किया है। यह कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करता है, साथ ही विदेशी विनिमय की बचत करता है और घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। अब तक, ईएसवाई 2014-15 से फरवरी 2026 तक, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के परिणामस्वरूप लगभग 869 लाख मीट्रिक टन की शुद्ध CO2 में कमी आई है और 289 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ है।

(ग): सरकार ने वर्ष 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल के मिश्रण/बायोडीजल की प्रत्यक्ष बिक्री के सांकेतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बायोडीजल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत डीजल में जैव डीजल के मिश्रण/जैव डीजल की प्रत्यक्ष बिक्री के सांकेतिक लक्ष्य को निर्धारित करना, "परिवहन उद्देश्यों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव डीजल की बिक्री के लिए दिशानिर्देश-2019" को अधिसूचित करना, मिश्रण कार्यक्रम के लिए जैव डीजल की अधिप्राप्ति के लिए जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करना आदि शामिल हैं।

(घ): सरकार ने लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके देश में दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन – वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को अधिसूचित किया था। योजना को अगस्त 2024 में "बोल्ट-ऑन" संयंत्रों और "ब्राउनफील्ड परियोजनाओं" को शामिल करने के लिए पात्रता का विस्तार करने हेतु "2जी इथेनॉल" को "उन्नत जैव ईंधन" से बदलने और योजना की समय सीमा को पांच वर्ष अर्थात 2023-24 से 2028-29 तक बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था।

(ड.): इस नीति का उद्देश्य आने वाले दशक में देश के ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू फीडस्टॉक का उपयोग, विकास और संवर्धन करना है ताकि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जा सके, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करते हुए जीवाश्म ईंधन को तेजी से प्रतिस्थापित किया जा सके। जलवायु परिवर्तन शमन, स्थायी तरीके से नए रोजगार के अवसर पैदा करने के अलावा, नीति जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को भी प्रोत्साहित करती है।

*****